



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़)
All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)

Tatibandh, GE Road
Raipur-492 099 (CG)
rti@aaimsraipur.edu.in

कमांक/प्रशासन/10/एम्स, रायपुर २१२

दिनांक 25 अक्टूबर 2021

कार्यालय आदेश
Office Order

एतद् द्वारा निदेशक, एम्स रायपुर के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित अधिकारियों को एम्स रायपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से एवं आरटीआई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा प्राप्त आवेदनों के प्रभावी निष्पादन एवं निराकरण करने के लिए केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

| स.क. S. No | पदनाम Designation | आर.टी.आई. संबंधित आवेदन Application related to RTI |
|---------------|---|--|
| 1. | रजिस्ट्रार, एम्स, रायपुर Registrar, AIIMS, Raipur | मेडिकल कॉलेज के विभागों के शैक्षणिक संबंधित जानकारी, पीजी, एमबीबीएस, बी.एस.सी. नर्सिंग, पैरामेडिकल छात्र-छात्राओं के प्रवेश, एस, जेआर, रिसर्च संबंधित डेटा आदि की जानकारियों के निराकरण हेतु |
| 2. | डॉ. नितिन बोरकर उपचिकित्सा अधीक्षक, एम्स, रायपुर Dr. Nitin Borkar Deputy Medical Superintendent, AIIMS, Raipur | एम्स अस्पताल के विभागों, मरीजों के ओपीडी, आईपीडी डाटा, ईलाज व मृत्यु, विभिन्न डाटा, मेडिकल स्टोर्स आदि से संबंधित जानकारी |
| 3. | अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता एम्स, रायपुर Superintending Engineer, AIIMS, Raipur | परियोजना कार्य से संबंधित आवेदनों के निराकरण हेतु |
| 4. | वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी, एम्स, रायपुर Senior Administrative Officer/ Administrative Officer, AIIMS, Raipur | प्रशासन, भर्ती, केन्द्रीय भंडार के क्रय आदि, आउटसोर्स सहित समस्त मैनपावर संबंधी आवेदनों के निराकरण हेतु तथा समस्त आरटीआई आवेदनों की मानिट्रिंग व हस्तांतरित आदि |
| 5. | मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, एम्स, रायपुर Finance and Chief Accounts Officer AIIMS, Raipur | एम्स रायपुर को प्राप्त वित्तीय राशि के आय-व्यय, क्रय-विक्रय के भुगतान, वेतन आदि संबंधित आवेदनों के निराकरण हेतु |
| 6. | प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल) एम्स, रायपुर Administrative Officer (Hospital), AIIMS, Raipur | अस्पताल प्रशासन, नर्सिंग शाखा, अस्पताल से संबंधित निविदा, क्रय/विक्रय, भुगतान, मैनपावर आदि से संबंधित आवेदनों के निराकरण हेतु |

समस्त आरटीआई आवेदनों के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी नोडल केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी होंगे एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता रहेंगे।

यदि किसी प्रकार का प्रथम अपील प्राप्त होता है, तो संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, प्राप्त अपील का निराकरण करेंगे साथ ही यदि द्वितीय अपील प्राप्त हो तो संबंधित केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रत्युत्तर प्रेषित कर द्वितीय अपील की सुनवाई में उपस्थित होंगे।

उपरोक्त पदनाम धारित सभी अधिकारियों/केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों को सूचित किया जाता है, कि आरटीआई के प्राप्त/हस्तांतरित आवेदनों को सीधे ही आवेदकों को नियत समय सीमा में उत्तर प्रेषित कर उसकी प्रति नोडल केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित करेंगे।

इसे निदेशक, एम्स रायपुर के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



(व्ही. सीताराम)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
एम्स, रायपुर

प्रतिलिपि-

1. निदेशक, एम्स, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, एम्स रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. चिकित्सा अधीक्षक, एम्स रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. उपनिदेशक (प्रशासन), एम्स रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. समस्त संबंधित अधिकारीगण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, एम्स रायपुर को सूचनार्थ।
7. आई टी विभाग, उक्त आदेश को वेबसाईट के आरटीआई मेनू में अपलोड करने हेतु पालनार्थ।
8. संबंधित फाईल।